न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 232/2025
(निगरानी अन्तर्गत पंचायतीराज अधिनियम)

1. श्री हनुमान सिह पुत्र श्री जीवराज सिंह
2. श्री किशन पुत्र श्री जीवराज सिह
3. श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री रणवीर सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर (ग्राम पंचायत तिलोरा पंस पीसांगन)

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री भवंर सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर (ग्राम पंचायत तिलोरा पंस पीसांगन)
   मृतक जरिये वारिसान –
   1/1 श्री कुलदीप सिह पुत्र श्री भंवर सिंह
   1/2 श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
   1/3 श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
   1/4 श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिह
   1/5 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिह
   1/6 श्री नरेन्द्र सिंह (लाल सिंह) पुत्र श्री भंवर सिह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर (ग्राम पंचायत तिलोरा पंस पीसांगन)
2. श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह
3. श्री शिवदान सिह पुत्र श्री सहदेव सिंह
4. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर (ग्राम पंचायत तिलोरा पंस पीसांगन)
5. सरपंच, ग्राम पंचायत तिलोरा पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमे

..... *अप्रार्थीगण*

निगरानी अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत तिलोरा के निर्णय दिनांक 20.07.2006 तथा पंचायत समिति पीसांगन के निर्णय दिनांक 28.06.2007

उपस्थित : 1. अभिभाषक श्री महेन्द्र रिंह चौहान, प्रार्थीगण की ओर से
2. अभिभाषक श्री शिव प्रकाश चौधरी, अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 09.04.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह निगरानी ग्राम पंचायत तिलोरा के निर्णय दिनांक 20.07.2006 तथा पंचायत समिति पीसांगन के निर्णय दिनांक 28.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पूर्व में निगरानी सं 16/2015, दिनांक 26.08.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त हो जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से बाजदायरी प्रार्थनापत्र दिनांक 29.02.2023 प्रस्तुत कर मूल

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया, जिसे दिनांक 12.09.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को नम्बर पर लिया गया। रेस्पोडेन्टस के नाम नोटिस पूर्व में ही तामील हो जाने तथा सम्बन्धित गाम पंचायत का रिकॉर्ड प्राप्त हो जाने के कारण पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का पुश्तैनी निवास ग्राम तिलोरा में स्थित है। प्रार्थीगण के मकान के सामने स्थित खाली पडी सिंवायचक भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन व बलपूर्वक पूर्व में अवस्थित नाली को पाटकर तथा पंचायत समिति द्वारा वर्ष 1995–96 व 1996–97 में निर्मित सीसी रोड को काटकर उक्त स्थान पर लैट्रीन बाथरूम निर्मित कर दिये जबकि अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध या सरोकार नहीं है तथा अप्रार्थीगण का मकान भी सड़क के दूसरी ओर स्थित है। उक्त अविधिक रूप से निर्मित लैट्रीन बाथरूम को ध्वस्त किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत तिलोरा के तत्कालीन सरपंच के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी। तत्कालीन वार्ड पंच वार्ड सं 3 व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में बयान देने, सरपंच को समस्त तथ्यों की जानकारी होने तथा समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के उपरान्त भी तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को दिनांक 20.07.2006 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत की गयी परन्तु पंचायत समिति द्वारा अविधिक रूप से उक्त अपील को दिनांक 28.07.2007 को निरस्त कर दिया।

उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत के समक्ष विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिये गये बयानों में अप्रार्थीगण द्वारा निर्मित किये गये लैट्रीन बाथरूम को आम रास्ते पर अतिक्रमण माना है तथा इससे आम रास्ता अवरूद्ध हुआ है। उन्होने यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकान के मुख्य गेट के सामने अतिक्रमण किया गया है जिससे प्रार्थीगण के मकान के आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हुआ है तथा मौके पर बदबू भी फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। उन्होने यह भी कथन किया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर के आदेश दिनांक 20.12.1996 के द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अपना गाँव अपना काम योजना में ग्राम पंचायत तिलोरा में सड़क व नाली निर्माण कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिला परिषद अजमेर में प्रार्थीगण द्वारा की गयी शिकायत के अनुक्रम में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य स्थल को आबादी क्षेत्र में माना है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मौका स्थल पर पूर्व में सीसी सड़क व नाली निर्माण कराया जाना माना है। उक्त स्थल पर अप्रार्थी हिम्मत सिंह तथा अन्तर कंवर व मोहन सिंह द्वारा किये गये अवैद्य अतिक्रमण को हटाने बाबत दिनांक 21.11.2019 को नोटिस जारी किये गये थे परन्तु सम्बन्धित द्वारा इन नोटिस का किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होने अप्रार्थीगण द्वारा निर्मित कराये गये विवादित लैट्रीन बाथरूम को सरकारी भूमि पर तथा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सीसी सड़क व नाली को काटकर बनाया जाना अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत तिलोरा वं पंचायत समिति के आदेश क्रमश 20.07.2006 तथा 28.07.2007 को निरस्त करने व उक्त अवैद्य निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं 1 से 3 तथा 5 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा उनकी ओर से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उनके अभिभाषक ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थनापत्र का लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया तथा मूल निगरानी के संदर्भ में मौखिक बहस प्रस्तुत की। उन्होने कथन किया कि अभिभाषक प्रार्थीगण ने पूर्व में ग्राम पंचायत तिलोरा व

अपर कलक्टर,
अजमेर

पंचायत समिति पीसांगन के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी परन्तु अभिभाषक प्रार्थीगण कभी भी उक्त निगरानी के निस्तारण के प्रति सजग व गम्भीर नहीं रहे। दिनांक 26.08.2015 को न्यायालय ने उक्त निगरानी को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के लगभग 08 वर्ष पश्चात प्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक ने बाजदायरी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया परन्तुत विलम्ब से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। उन्होने यह भी कथन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन के निर्देश पर सहायक अभियन्ता, पं स पीसांगन ने विवादित स्थल का सरपंच ग्राम पंचायत तिलोरा, ग्राम सेवक, शिकायतकर्ता तथा अन्य ग्रामीणों के साथ दिनांक 15.12.2011 को मौका निरीक्षण किया, जिसकी जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2011 संलग्न पत्रावली है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिलोरा में राजपूत मौहल्ले में जाने वाले आम रास्ते लगभग 09 फीट चौड़ा तथा आवागमन के अनुकूल रास्ता बना हुआ है, जिस पर बांई ओर चबूतरा बना हुआ है व कांटे रखे हुए है जो कि ग्रामीणों के अनुसार श्री भंवर सिंह के हिस्से में है तथा वर्तमान में उनकी पुत्रियाँ काबिज है। इसके आगे कोने मे विवादित स्थल पर हिम्मत सिंह पुत्र सहदेव सिंह काबिज है तथा पूर्व में उक्त विवादित स्थल पर कांटे रखे जाते थे, वर्तमान में एक कोटड़ी बनी हुई है जो कि पक्का है तथा लैट्रीन बाथरूम के रूप में नहीं है, वक्त निरीक्षण उक्त कोटड़ी में एक मोटर साइकिल रखी हुई मिली। निरीक्षण तथा ग्रामवसियों के बयान से स्पष्ट है कि विवादित स्थल पर अप्रार्थी श्री हिम्मत सिंह द्वारा स्वंयं के हिस्से की भूमि में कोठरी निर्माण कराया गया है जिससे कि रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना प्रतीत होता है तथा मौके पर लैट्रीन बाथरूम भी नहीं होना पाया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अभिभाषक अप्रार्थी सं 4 ने कथन किया कि प्रार्थीगण आदतन शिकायती है तथा जाँच रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर किसी प्रकार की लैट्रीन बाथरूम निर्मित नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, प्रार्थनापत्र एवं लिखित प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि ग्राम तिलोरा में आक्षेपित लैट्रीन बाथरूम से आम रास्ता अवरूद्ध हो रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध जाँच रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस निर्मित संरचना को लैट्रीन बाथरूम बताया जाकर ग्राम पंचायत तिलोरा में शिकायत प्रस्तुत की थी, वास्तव में यह संरचना एक पक्का कमरा है तथा इसका लैट्रीन बाथरूम के रूप में उपयोग भी नहीं हो रहा है।

अतः निगरानीकार श्री हनुमान सिंह व अन्य द्वारा ग्राम पंचायत तिलोरा के निर्णय दिनांक 20.07.2006 तथा पंचायत समिति पीसांगन के निर्णय दिनांक 28.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी विचाराधीन निगरानी को निरस्त किया जाकर, ग्राम पंचायत तिलोरा तथा पंचायत समिति पीसांगन के निर्णय क्रमशः 20.07.2006 व 28.06.2007 को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर